[2014] 9 एस.सी.आर. 364

हुसैन घडीयाली उर्फ़ एम.एच.जी.ए. शेख और अन्य

बनाम

गुजरात राज्य

(आपराधिक अपील No.92/ 2009)

18 जुलाई, 2014

[टी.एस. ठाकुर और सी.नागप्पन, जे.जे.]

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 – धारा 20ए - अपराध का संज्ञान-एफआईआर का पंजीकरण – जिला पुलिस अधीक्षक का पूर्व अनुमोदन - अनिवार्य या निर्देशित – अभिनिर्धारित: अनिवार्यता – धारा 20ए जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्वानुमति के बिना पुलिस द्वारा टाडा के तहत अपराधों के घटित होने बारे में जानकारी दर्ज करने पर रोक लगाती है – जब संविधि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नामित प्राधिकारी को अनुमोदन प्रदान करता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के अलावा कोई भी उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, चाहे वह वरिष्ठ हो या निम्न – धारा 20-ए(1) के तहत अनुमोदन देने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग अपने स्वभाव में ही संबंधित अधिकारी पर सूचना का मूल्यांकन करने और सभी संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करने का कर्तव्य बनाता है कि टाडा

के प्रावधानों को लागू करने का मामला बनता है या नहीं - निर्दिष्ट प्राधिकारी के अलावा किसी अन्य द्वारा उस शक्ति का प्रयोग, ऐसे अन्य प्राधिकारी के समान होगा जो नामित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में जकड़ा हुआ है - तथ्यों पर, जिला पुलिस अधीक्षक में निहित अनुमोदन की शक्ति का उपयोग सरकार या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता था - एक अनिवार्य वैधानिक प्रावधान की आवश्यकता का उल्लंघन किया गया है, टाडा के तहत अपराधों के लिए अपीलार्थियों का परिक्षण और दोषसिद्धि दूषित हो गई – हालाँकि कुछ हथियारों की बरामदगी के संबंध में साक्ष्य हो सकते हैं लेकिन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा - यहां तक कि अन्यथा हथियारों की बरामदगी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा संतोषजनक रूप से साबित नहीं हैं - इस प्रकार, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अपास्त किया जाता है – दंड संहिता, 1860 – विस्फोटक पदार्थ अधिनियम।

शहर 'एस' में दोहरे बम धमाके हुए। दंड संहिता, 1860, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1985 (टाडा) के तहत अपराध कारित करने के लिए अभियुक्तों पर विचारण किया गया और उन्हें दोषी ठहराया गया। विचरण न्यायालय ने कुछ आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें 10 से 20 साल के बीच कारावास की सजा सुनाई गई। कुछ आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए

बरी कर दिया गया। पहले विस्फोट के लिए दर्ज मामले के संबंध में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग ने टाडा के तहत अपराध के कारित करने बारे में जानकारी दर्ज करने की मंजूरी दे दी और दूसरे विस्फोट के मामले में, राज्य सरकार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने टाडा के प्रावधानों के आवेदन को मंजूरी दे दी।

इन अपीलों में विचारण के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या राज्य सरकार या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा अनुमोदन को आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1985 की धारा 20-ए के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन कहा जा सकता है, जब इसके तहत उक्त धारा में अनुमोदन की शक्ति जिला पुलिस अधीक्षक में निहित है ?

अपीलों का निस्तारण करते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1.1. आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ अधिनियम, 1985 की धारा 20-ए का सावधानीपूर्वक अध्ययन से इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रावधान एक गैर-अप्रत्याशित खंड से शुरू होता है और नकारात्मक वाक्यांश विज्ञान में जोड़ा गया है। यह जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा टाडा के तहत किए गए अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने से मना करता है। तत्काल मामले में, जिला पुलिस अधीक्षक में निहित अनुमोदन की शक्ति का प्रयोग सरकार या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सूरत द्वारा नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, क्योंकि क़ानून अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार इस उद्देश्य के

लिए विशेष रूप से नामित प्राधिकारी को देता है। ऐसा होने पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी के अलावा कोई भी उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग की अनुमति देना, चाहे वह संविधि द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से श्रेष्ठ हो या निम्नतर, प्रावधान को फिर से लिखने और इसके पीछे विधायिका के उद्देश्य को विफल करना का प्रभाव होगा-एक ऐसा पाठ्यक्रम जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। [पैरा 17] [383-सी-एफ]

जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ़ एयर लाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (एएलपीएआई) और अन्य बनाम डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन और अन्य 2011 (5) एससीआर 1019: (2011) 5 एससीसी 435-संदर्भित।

1.2. दूसरा, क्योंकि धारा 20-ए(1) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक में निहित शक्ति का प्रयोग में सम्बंधित अधिकारी द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री से सम्बंधित पर दिमाग का उपयोग शामिल होगा, जिसके आधार पर केवल यह निर्णय लिया जायेगा कि टाडा के तहत किसी अपराध के घटित होने को दर्ज करने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए या नहीं। धारा 20-ए (1) के तहत अनुमोदन देने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग अपने प्रकृति में संबंधित अधिकारी पर जानकारी का मूल्यांकन करने और सभी सम्बंधित परिस्तिथियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करने का कर्तव्य डालती है कि टाडा के प्रावधानों को लागू करने के लिए

मामला बनाया गया है या नहीं। नामित प्राधिकारी के आलावा किसी अन्य द्वारा उस शक्ति का प्रयोग अर्थात पुलिस अधीक्षक, ऐसे अन्य प्राधिकारी के सामान होगा जो नामित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र पर कब्ज़ा कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी यह प्रयोग कर रहा है कि शक्ति निर्णय लेने के लिए कानून द्वारा अधिकृत अधिकारी से रैंक और स्तिथि में श्रेष्ठ है। [पैरा 18] [383-एच; 384-ए-डी]

1.3. तीसरा, क्योंकि यदि क़ानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना चाहिए। उस कार्य को करने के अन्य सभी तरीके या विधियाँ प्रतिबंधित माने जायेंगे। [पैरा 19] [384-डी, ईजे

1.4. एक अनिवार्य वैधानिक प्रावधान की आवश्यकता का उल्लंघन होने पर, टाडा के तहत अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं के विचारण और सजा को उस कारण से दूषित माना जाना चाहिए। धारा 20-ए (1) के कानून की किताब में आने से पहले दोनों घटनाएं हुई थीं और टाडा के तहत उनके संबंध में मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन तथ्य यह है कि समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार टाडा के प्रावधानों को रिपोर्ट से हटा दिया गया था। जब तक नए साक्ष्य सामने आए, तब तक अधिनियम के प्रावधानों को फिर से लागू करने के लिए टाडा के तहत अपराधों के कारित करने के संबंध में जानकारी दर्ज करने की मंजूरी आवश्यक हो गई थी। तथ्य यह है कि इस तरह की मंजूरी को जांच एजेंसी द्वारा भी

आवश्यक माना गया था और इसके लिए प्रार्थना की गई थी, केवल यह दर्शाता है कि अधिकारियों को कानून की आवश्यकता के बारे में पता था और उन्होंने जानबूझकर उक्त आवश्यकता का पालन करने का प्रयास किया था, भले ही उन्होंने किसी प्राधिकारी को ऐसी मंजूरी के लिए आवेदन किया हो। समान अनुदान देने में सक्षम नहीं है। [पैरा 27] [389-सी-जी]

1.5. यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही अपीलार्थी के खिलाफ टाडा के प्रावधान उपलब्ध नहीं थे, फिर भी अभियोजन आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपीलार्थियों की सजा को बरकरार रखने में सफल हो सकता है। यह वास्तव में ऐसा ही होगा, बशर्ते उस कार्यवाही का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य हों। जब उनसे सबूत दिखाने के लिए कहा गया जो जो टाडा के प्रावधानों से स्वतंत्र अपीलार्थी को दोषी ठहरा सकते थे और कथित प्रावधानों के तहत कथित तौर पर दर्ज किये गए आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान, तो अधिवक्ता ने स्पस्ट रूप से स्वीकार किया के हालाँकि कुछ हथियारों की बरामदगी के संबंध में सबूत हो सकते हैं, यह अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त नहीं होंगे। अन्यथा भी हथियारों की बरामदगी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से संतोषजनक साबित नहीं होती है। ऐसे स्तिथि होने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 28] [389-जी-एच; 390-ए-सी]

अनिरुद्धसिंहजी और अन्य बनाम गुजरात राज्य 1995 (2) पूरक एससीआर 637: (1995) 5 एससीसी 303- पुष्टि की गई।

राव शिव बहादुर सिंह और अन्य बनाम विंध्य प्रदेश राज्य 1954 एससीआर 1038: एआईआर 1954 एससी 322; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह और अन्य एआईआर 1964 एससी 358; चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद और अन्य 1999 (8) एससी 266, धनंजय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य 2001 (2) एससीआर 399: 2001 (4) एससीसी 9; गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड बनाम एस्सार पावर लिमिटेड 2008 (4) एससीआर 822: 2008 (4) एससीसी 755-पर निर्भरता।

पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भंजी 1952 एससीआर 135: एआईआर 1952 एससी 16; मनोहर लाल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम उग्रसेन (मृत) द्वारा विधि प्रतिनिधि और अन्य 2010 (7) एससीआर 346: (2010) 11 एससीसी 557; रंगकू दत्ता उर्फ़ रंजन कुमार दत्ता बनाम असम राज्य 2011 (8) एससीआर 639: (2011) 6 एससीसी 358; अहमद उमर सईद शेख बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996 (9) पूरक एससीआर 53 (1996) 11 एससीसी 61; अशरफखान उर्फ़ बाबू मुनेखान पठान और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2012 (12) एससीआर 1033: (2012) 11 एससीसी 606; मो.इकबाल एम.शेख और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 1998(2) एससीआर 734:(1998) 4 एससीसी 494; मंजीत सिंह उर्फ़

मांगे सीबीआई, द्वारा इसके एसपी 2011 (1) एससीआर 997 (2011) 11 एससीसी 578 - संदर्भित।

टेलर बनाम टेलर (1876) 1 सीएच. डी426; नजीर अहमद बनाम राजा सम्राट एआईआर 1936 पीसी 253-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

2011 (5) एससीआर 1019	संदर्भित किया गया	पैरा 17
1954 एससीआर 1038	भरोसा किया गया	पैरा 19
एआईआर 1964 एससी 358	भरोसा किया गया	पैरा 19
1999 (8) एससी 266	भरोसा किया गया	पैरा 19
2001 (2) एससीआर 399	भरोसा किया गया	पैरा 19
2008 (4) एससीआर 822	भरोसा किया गया	पैरा 19
1952 एससीआर 135	संदर्भित किया गया	पैरा 21
2010 (7) एससीआर 346	संदर्भित किया गया	पैरा 22
2011 (8) एससीआर. 239	संदर्भित किया गया	पैरा 23
1996 (9) पूरक एससीआर 53	संदर्भित किया गया	पैरा 24
2012 (12) एससीआर 1033	संदर्भित किया गया	पैरा 24
1998 (2) एससीआर 734	संदर्भित किया गया	पैरा 26
2011 (1) एससीआर 997	संदर्भित किया गया	पैरा 26

1995 (2) पूरक एससीआर 637 पुष्टि की गई पैरा 26

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 92/ 2009

आपराधिक (टाडा) मामला संख्या 41/1995 में न्यायाधीश, नामित न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 04.10.2008 से उत्पन्न।

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 110, 303-304, 305, 432-433, 658, 659 ऑफ़ 2009

सुशील कुमार, यशांक अध्यारू, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, संजय जैन, साधना संधू, हेमंतिका वाही, अर्ची अग्निहोत्री, पिंकी बेहरा, पूजा सिंह, नूपुर कानूनगो, जावेद-उर-रहमान, बीना माधवन, प्रसीना ई.जोसेफ, सलीम ए. इनामदार (लॉयर्स निट एंड कंपनी के लिए), सुदर्शन सिंह रावत, अनुराग अहलूवालिया, पक्षकारों के लिए उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

टी.एस. ठाकुर, न्यायाधिपति

1. इन अपीलों में विचार के लिए कानून के सामान्य प्रश्न उठते हैं जिन्हें एक साथ सुना गया और इस सामान्य आदेश द्वारा निस्तारण किया जाएगा। ये अपीलें सूरत में नामित न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर, 2008 को दिए गए दो अलग-अलग निर्णयों से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत नामित न्यायालय ने कुछ आरोपियों को बरी करते हुए बाकी को दोषी ठहराया और

उन्हें 10 से 20 साल के बीच की अलग-अलग अवधि के लिए कारावास की सजा सुनाई। आपराधिक (टाडा) मामला संख्या 41/1995 में आपराधिक अपील संख्या 92/2009 और 658/2009 से संबंधित सी.आर. संख्या 70/1993 से उत्पन्न आपराधिक (टाडा) मामला संख्या 1/2000 के साथ निस्तारित किये गए, नामित न्यायालय ने उन अपीलों में अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है, जबकि उसी फैसले के खिलाफ गुजरात राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 305/2009 में प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया है। आपराधिक अपील संख्या 432-33/2009 में राज्य ने विचारण न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को दी गई सजा को बढ़ाने की मांग की है।

2. सी.आर. संख्या 32/1993 से उत्पन्न आपराधिक (टाडा) मामला संख्या 59/1995 और 2/2000 में नामित न्यायालय ने इसी तरह कुछ आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया है जो (आपराधिक अपील संख्या 110/2009 और 659/2009 में हमारे सामने अपीलकर्ता हैं)। राज्य ने अपने द्वारा दायर अपीलों में विचारण न्यायालय निर्णय की भी आलोचना की है और आपराधिक अपील संख्या 303-304/2009 में दोषी ठहराए गए लोगों को दी गई सजा को बढ़ाने की मांग की है।

3. गुजरात राज्य के वर्चचा और सूरत रेलवे पुलिस स्टेशनों में क्रमशः आई.सी.आर. सं.32 और 70/1993 के पंजीकरण को जन्म देने वाले तथ्य, जिसके कारण अपराध करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई

और अंततः मुकदमे द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया। नीचे दिए गए उक्त विचारण न्यायालय द्वारा हमारे सामने दिए गए दो निर्णयों और आदेशों में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए, हमें उस संपूर्ण तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को दोहराने की आवश्यकता नहीं है जिसमें अपीलकर्ताओं पर विचारण किया गया, दोषी पाए गए और सजा सुनाई गई, सिवाय उस हद तक जब ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक हो। यह कहना पर्याप्त है कि दो विस्फोट एक मिनी हीरा बाजार, वारचा रोड, सूरत में और दूसरा प्लेटफार्म 1, सूरत रेलवे स्टेशन पर क्रमशः 28 जनवरी, 1993 और 22 अप्रैल, 1993 को हुए थे। मिनी हीरा बाजार, वरचा रोड पर हुई इस घटना में महज 8 साल की एक नाबालिग लड़की की जान चली गई, जबकि 11 अन्य घायल हो गए। आई.सी.आर. संख्या 70/1993 से संबंधित सूरत रेलवे स्टेशन पर दूसरी घटना में 38 लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि ऊपर उल्लिखित दो घटनाओं की उत्पत्ति 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में हुई थी, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ये दंगे सूरत शहर में भी हुए, जिससे मुस्लिम समुदाय को जान-माल की क्षति हुई। ऐसे दंगों से प्रभावित लोगों को राहत देने के उद्देश्य से सूरत शहर के रानीतलाओ क्षेत्र में एक राहत शिविर मुख्य रूप से हुसैन घड़ियाली, इकबाल वाडीवाला, मोहम्मद सुरती, हनीफ टाइगर और अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा स्थापित किया गया था। राहत शिविर के

निकट एक अस्थायी कार्यालय में आरोपी व्यक्तियों को अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराया गया।

4. अभियोजन पक्ष का आरोप है कि दंगों और मुसलमानों को हुई क्षति के कारण, आरोपी व्यक्तियों ने यह भावना पाल ली कि सरकार और पुलिस उनके समुदाय की रक्षा नहीं कर पाएगी। अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की रक्षा करने और बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए आरोपी व्यक्तियों ने शुरू में आग्नेयास्त्र, तलवारें, भाले, लोहे की छड़ें, देशी बम और जिलेटिन बम आदि इकट्ठा करने का फैसला किया। इसे उन लोगों को वितरित करें जो राहत शिविर में एकत्र हुए थे। अहमदाबाद के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल लतीफ से आग्नेयास्त्र, बम आदि आयात करने का भी निर्णय लिया गया था, जो आरोपी नंबर 1 हुसैन घडियाली को जानता था। अब्दुल लतीफ तब दुबई में था लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और नामित अदालत में पेश किया गया। मुकदमे के दौरान पुलिस मुठभेड़ में वह मारा गया।

5. अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता-हुसैन घडियाली और उनकी पत्नी, इकबाल वाडीवाला (ए-2) के साथ भूपत मकवाना द्वारा संचालित मारुति वैन नंबर जीजे-5 ए-5178 में अहमदाबाद गए थे। ए.के.47 राइफल, कारतूस, और बम आदि सहित हथियार और गोला-बारूद ले जाने के लिए मारुति वैन में एक गलत डिब्बे का निर्माण किया गया था जिसका

स्वामित्व अपीलार्थी-इकबाल वाडीवाला के पास था। अब्दुल लतीफ (मृतक के बाद से) द्वारा आपूर्ति किए गए हथियारों और गोला-बारूद को वाहन के गुप्त कक्ष में रखा गया और सूरत ले जाया गया। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और गोला-बारूद को बहुसंख्यक समुदाय के खिलाफ बदला लेने के लिए अलग-अलग स्थानों पर रखा गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 28 जनवरी, 1993 को मिनी हीरा बाजार, वरचा रोड, सूरत में और 22 अप्रैल, 1993 को सूरत रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट आरोपियों द्वारा रची गई साजिश और उनके प्रयासों की परिणति थे। इनमें घृणित घटना में उनकी सक्रिय भागीदारी भी शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप एक मासूम बच्चे की हत्या सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

6. अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि सूरत रेलवे पुलिस द्वारा अपराध की जांच से वास्तविक अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सका। इसने गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक को अपराध की जांच और अन्वेषण के लिए एक एक्शन ग्रुप गठित करने के लिए मजबूर किया। एक्शन ग्रुप द्वारा अन्वेषण के दौरान, मुश्ताक पटेल नामक व्यक्ति को शस्त्र अधिनियम के तहत उमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में 12 मार्च, 1995 को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान उक्त मुश्ताक पटेल ने सूरत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर हुए बम विस्फोट से संबंधित जानकारी का खुलासा किया। इससे एक्शन ग्रुप को

राहत मिली, जिससे विस्फोटों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ और 6 विदेशी ग्रेनेड, 2 एके-47 राइफल और 199 जिंदा कारतूस सहित हथियारों और गोला-बारूद की बरामदगी हुई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जी डिवीजन, सूरत शहर और/या राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों द्वारा आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी और हथियारों और गोला-बारूद की जब्ती के कारण आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया गया।

7. अभियुक्त व्यक्तियों के स्वीकारोक्ति बयान उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए थे और नामित अदालत के समक्ष दायर दोनों एफआईआर में अलग-अलग आरोप पत्र दायर किए गए थे, जिसमें आरोपी यूसुफ दादू को फरार दिखाया गया था। यूसुफ दादू को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ दोनों मामलों में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया, जिसे उपरोक्त दोनों घटनाओं के संबंध में टाडा मामले संख्या 1 और 2/2000 के रूप में गिना गया। नामित न्यायालय के समक्ष आरोपी व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष बताया और विचारण का दावा किया।

8. विचारण में, अभियोजन पक्ष ने टाडा केस नंबर 41/1995 में 1/2000 के साथ 120 गवाहों और टाडा केस नंबर 59/1995 में 2/2000 के साथ 105 गवाहों को परीक्षित कराया। अभियुक्त ने कोई बचाव नहीं किया। विचारण न्यायालय ने अंततः कुछ अभियुक्तों को दोषी पाया जबकि

कुछ अन्य को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। दोषी पाए गए लोगों को 10 से 20 साल के बीच कारावास की सजा सुनाई गई, जिसका विवरण निम्नानुसार संक्षेप में दिया जा सकता है:

क्रम सं.	अपीलार्थी / अभियुक्त	अभियुक्त अपील संख्या	नामित न्यायालय द्वारा सी .आर.सं सं .70/1993 से उत्पन्न टाडा मामला सं.41/1995 और 1/2000 में दोषसिद्धि (रेलवे स्टेशन)	टाडा मामला सं सं .41/1995 और 1/2000 में नामित न्यायालय द्वारा अधिकतम सजा	नामित न्यायालय द्वारा सी .आर.सं सं .32/1993 से उत्पन्न टाडा मामला सं.59/1995 और 2/2000 में दोषसिद्धि (मिनी हीरा बाज़ार)	टाडा मामला सं सं .59/1995 और 2/2000 में नामित न्यायालय द्वारा अधिकतम सजा
1	हुसेन घडियाली ए-1	92/2009 और 110/2009	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 307, 326, 325 और	10 वर्ष कठोर कारावास	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 302 सपठित 120 बी,	20 वर्ष कठोर कारावास

			324 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए)		विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए)	
2	इकबाल वादियावाला ए-2	92/2009 और 110/2009	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 307, 326, 325 और 324 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए)	10 वर्ष कठोर कारावास	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 302 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए)	20 वर्ष कठोर कारावास

3	मोहम्मद गुलाम उर्फ़ मोहम्मद सुरती ए-3	92/2009 और 110/2009	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 307, 326, 325 और 324 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए)	10 वर्ष कठोर कारावास	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 302 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए)	20 वर्ष कठोर कारावास
4	मुस्ताक इब्राहीम पटेल ए-4	92/2009 और 110/2009	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 307, 326, 325 और	10 वर्ष कठोर कारावास	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 302 सपठित 120 बी,	20 वर्ष कठोर कारावास

			324 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1)एए		विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1)एए	
5	सलीम चवाली मंजरो ए-5	92/2009 और 110/2009	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 307, 326, 325 और 324 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3(बी) और आयुध अधिनियम की	10 वर्ष कठोर कारावास	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 302 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और 25(1)एए	20 वर्ष कठोर कारावास

			धारा 25 और 27			
6	अह्ज़ाज़ अह्मद पटेल ए-6	92/2009 और 110/2009	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 307, 326, 325 और 324 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3(बी) और आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27	10 वर्ष कठोर कारावास	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 302 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3(बी) और आयुध अधिनियम की धारा 25 और 27	20 वर्ष कठोर कारावास
7	अज़ीज़ इब्राहीम पटेल	110/2009	दोषमुक्त ए-7	--	धारा 201 सपठित 120 बी आईपीसी	10 वर्ष कठोर कारावास
8	मह्मूद उर्फ़ बाबा	110/2009	दोषमुक्त A-8	--	टाडा की धारा धारा 3(3)	10 वर्ष कठोर

					सपठित धारा 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5, आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए) ए-10	कारावास
9	फज़ल देवूद नागोरी	110/2009	दोषमुक्त A-9	--	टाडा की धारा धारा 3(3) सपठित धारा 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5, आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए) ए-11	10 वर्ष कठोर कारावास
10	सईद नाडी उर्फ़	110/2009	दोषमुक्त	--	टाडा की धारा धारा 3(3)	10 वर्ष कठोर

	अब्दुल सईद अब्दुल माजिद नवदिवाला ला		A-10		सपठित धारा 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 5, आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए) ए-12	कारावास
11	बाबा उर्फ़ अब्दुल खालिक अली मोहम्मद शैख़	110/2009			टाडा की धारा 6 सपठित धारा 120 बी आईपीसी ए 9	10 वर्ष कठोर कारावास
12	युसूफ दादू उर्फ़ युसूफ उर्फ़ यासीन उर्फ़ अब्दुल्ला गुलाम	658/2009 और 659/2009	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 307, 326, 325 और	10 वर्ष कठोर कारावास	धारा 3(2)(ii) टाडा सपठित 120 बी आईपीसी, टाडा की धारा 5, आईपीसी की धारा 302 सपठित 120 बी,	20 वर्ष के लिए आजीवन कारावास

	हुसेन नालबंद		324 सपठित 120 बी, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3(बी), 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए)		विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3(बी), 5 और आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(ए)	

9. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार ने जोरदार तर्क दिया कि जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ताओं पर आरोप लगाए गए थे, उनके विचारण और दोषसिद्धि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम (टाडा) की धारा 20-ए(1) के अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दूषित है। उस प्रावधान के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के बारे में किसी भी जानकारी को दर्ज करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की मंजूरी की आवश्यकता थी। हालाँकि, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक से ऐसी कोई मंजूरी नहीं मांगी गई थी या दी गई थी। जानकारी दर्ज करने की मंजूरी गुजरात सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से ली गई थी, जिनके पास अधिनियम के तहत इसे देने की कोई शक्ति नहीं थी। इसलिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सूरत से कथित मंजूरी का कोई कानूनी प्रभाव नहीं था क्योंकि ऐसी मंजूरी देने की शक्ति केवल जिला पुलिस अधीक्षक में

निहित थी और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या समकक्ष रैंक रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के कारित करने के बारे में किसी भी जानकारी की रिकॉर्डिंग के लिए अनुमोदन देने की शक्ति एक अनिवार्य शर्त है, श्री सुशील कुमार के अनुसार ऐसी मंजूरी का अभाव अपने आप में किसी भी विचारण को दूषित करने के लिए पर्याप्त था जो कि अधिनियम के उल्लंघन में आयोजित किया गया था। उस निवेदन के समर्थन में श्री कुमार द्वारा इस न्यायालय के अनिरुद्धसिंहजी जाडेजा और अन्य बनाम गुजरात राज्य (1995) 5 एससीसी 302 का मामले के साथ साथ कई निर्णयों पर भरोसा किया गया था, जिस पर हम विचार करेंगे। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को न केवल इसलिए अपास्त किया जाना चाहिए क्योंकि धारा 20-ए (1) का प्रावधान अनिवार्य है, बल्कि इसलिए भी कि इसके तहत अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने की मंजूरी देने की शक्ति है। अधिनियम का प्रयोग केवल ऐसे प्रावधान के तहत संबंधित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है, किसी अन्य द्वारा नहीं। श्री कुमार ने तर्क दिया कि नामित प्राधिकारी किसी अन्य प्राधिकारी के पक्ष में सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता, भले ही ऐसा अन्य प्राधिकारी नामित प्राधिकारी से उच्च रैंक का हो। यह भी तर्क दिया गया कि यदि कानून किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है तो ऐसा कोई भी कार्य केवल निर्धारित तरीके से ही किया जा सकता है या बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया

जिसके लिए जानकारी दर्ज करने की मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होती है, का पालन नहीं किया गया था, अनिवार्य प्रावधान के उल्लंघन में अपीलकर्ताओं का परीक्षण और दोषसिद्धि कानूनी रूप से अस्थिर थी।

10. दूसरी ओर, गुजरात राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री यशांक अध्यारू ने तर्क दिया कि वर्तमान मामलों में टाडा के तहत अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने के लिए पूर्व अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। चूँकि दोनों घटनाओं के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट 28 जनवरी, 1993 और 22 अप्रैल, 1993 को दर्ज की गई थी, जबकि धारा 20-ए (1) को बाद में 22 मई, 1993 को अधिनियम में जोड़ा गया था। वैकल्पिक रूप से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि सरकार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा दी गई मंजूरी वैध थी और धारा 20-ए (1) के तहत निर्धारित आवश्यकताओं का काफी हद तक अनुपालन किया गया था।

11. इससे पहले कि हम बार द्वारा दिए गए तर्कों से निपटें, हमें दो प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण से संबंधित तथ्यों पर सहजता से विचार करना होगा। मिनी हीरा बाजार, वराचा रोड में विस्फोट से संबंधित पहला मामला, न केवल आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए बल्कि टाडा के तहत भी सी.आर. नंबर 32/1993 दर्ज किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के लगभग एक साल बाद, 24 जनवरी, 1994 को पुलिस आयुक्त, सूरत ने वराछा पुलिस स्टेशन को

सी.आर. नंबर 32/1993 से टाडा प्रावधान हटाने का निर्देश दिया। ये निर्देश टाडा समीक्षा समिति द्वारा 24 जनवरी, 1994 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के मद्देनजर आए। निर्देशों का पालन किया गया और मौजूदा दो मामलों से टाडा अपराध हटा दिए गए। सी.आर. संख्या 32/1993 से टाडा को हटाने के बाद, पी.सी. पांडे, पुलिस आयुक्त, सूरत द्वारा गुजरात सरकार के गृह विभाग को टाडा के प्रावधानों को फिर से लागू करने के लिए एक अनुरोध किया गया था। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि विस्फोट में रूस निर्मित हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था। टाडा प्रावधानों को फिर से लागू करने की मंजूरी उक्त अनुरोध के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, गुजरात सरकार द्वारा 12 मई, 1995 को दी गई थी और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सूरत को सूचित किया गया था। 8 मई, 1995 को अपने पत्र में, सूरत शहर के पुलिस आयुक्त ने निम्नलिखित शब्दों में टाडा प्रावधानों को फिर से लागू करने की मंजूरी मांगी:

> "वराछा पुलिस स्टेशन में दर्ज अपराध में, रूस निर्मित ग्रेनेड द्वारा विस्फोट किया गया था, जिसका खुलासा तब हुआ जब अभियुक्तों को सूरत रेलवे पुलिस स्टेशन पर पंजीकरण सं. 60/93 में गिरफ्तार किया गया। अतः यह आवश्यक है कि वराछा पुलिस स्टेशन में आई ओ. रजि. संख्या 32/93 अंतर्गत धारा 302, 307, 324, 326, 120(बी) आई.पी.सी.

और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3,4,5 और टाडा अधिनियम की धारा 3 और 5 को जोड़ा जाना आवश्यक है। इसलिए टाडा की धाराएं जोड़ने की मंजूरी दी जा सकती है।

आपकी वफादारी से,

(पी.सी.पांडे)

पुलिस आयुक्त

सूरत शहर"

12. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा दिनांक 12-05-1995 को दी गई मंजूरी उपरोक्त अनुरोध के अनुसार पुलिस आयुक्त, सूरत शहर को निम्नलिखित शब्दों में सूचित की गई थी:

"सेवा में,

पुलिस आयुक्त

सूरत शहर,

सूरत

विषयः वराचा पुलिस स्टेशन आई.ओ रजि. संख्या 32/93 टाडा की मंजूरी

श्रीमान,

वराछा पुलिस स्टेशन (प्रथम) O.Reg.No.32193 में दर्ज मामले में आपके फैक्स संदेश नंबर RB/10011995 दिनांक

8.5.95 के संबंध में उपरोक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग ने टाडा की धाराओं को लागू करने की मंजूरी दे दी है।

आपकी वफादारी से,

एस. डी./- अपठनीय

(आर.बी.ठक्कर)

अनुभाग अधिकारी

गृह विभाग (विशेष)"

13. जहां तक 22 अप्रैल, 1993 को प्लेटफार्म नंबर 1 सूरत रेलवे स्टेशन पर हुए दूसरे विस्फोट का सवाल है, उसके संबंध में पंजीकृत सी.आर. नंबर 70/1993 न केवल आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत था, बल्कि टाडा की धारा 3 और 7 के तहत भी। हालाँकि, बाद में टाडा समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस मामले में भी टाडा प्रावधानों को हटा दिया गया और सूरत में सक्षम न्यायालय को धाराएँ हटाए जाने की सूचना दी गई। हालाँकि, 12 अप्रैल, 1995 को, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रेंज 2, सूरत शहर ने उक्त विस्फोट के संबंध में दर्ज किये गए सी.आर. संख्या 70/1993 में टाडा अधिनियम की धारा 3(1), 3(2),

3(3), 3(4) और 5 को फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी। तदनुसार, जांच अधिकारी द्वारा यह वृद्धि की गई और टाडा के तहत नियुक्त नामित न्यायाधीश को सूचित किया गया। यह जांच अधिकारी द्वारा नामित न्यायालय को संबोधित दिनांक 13 अप्रैल, 1995 के पत्र में छपे निम्नलिखित अंश से स्पष्ट है:

"के. सी. परमार, एक्शन ग्रुप के पी.एस.आई. एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि:-

सूरत रेलवे पुलिस स्टेशन ओ.रजि. नंबर 70/93 में आईपीसी की धारा 307, 326, 324, 427, 1208 के तहत धारा 3(1)(2)(3}(4) और टाडा एक्ट की धारा 5 जोड़ी गई है। और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3,5, 7 के तहत। टाडा अधिनियम के नए प्रावधानों के अनुसार, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त रेंज -2 सूरत शहर की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है जो मामले के कागजात के साथ संलग्न है।

इसलिए आपको सूचित किया जाता है कि इस अपराध में टाडा अधिनियम की धारा 3(1)(2)(3)(4) और धारा 5 जोड़ी गई है, जिसे कृपया नोट करें।

तारीखः 14.4.95 एसडी /-

अपठनीय (के.सी.परमार)

पी.एस. निरीक्षक

एक्शन ग्रुप, सूरत सिटी"

14. दिलचस्प बात यह है कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, रेंज 2, सूरत शहर की मंजूरी के साथ टाडा के प्रावधानों को पहले ही पेश किए जाने के बाद भी, ऐसा प्रतीत होता है कि सी.आर. नंबर 70/1993 में टाडा की शुरूआत के लिए मंजूरी देने के लिए सरकार से संपर्क किया गया है। जिसे अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग द्वारा मंजूरी दी गई थी और सहायक पुलिस आयुक्त, जी डिवीजन, सूरत शहर द्वारा उनके पत्र दिनांक 12 मई, 1995 के अनुसार नामित अदालत को अवगत कराया गया था। पत्र का प्रासंगिक भाग टाडा की शुरूआत के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग की मंजूरी से अवगत कराता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> "के. के. चुडासमा (आई.ओ) सहायक पुलिस आयुक्त सूरत शहर "जी" प्रभाग की रिपोर्ट है किः
>
> अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग की मंजूरी फैक्स संदेश क्रमांक /V2/ATK/28931/2768 गृह विभाग, ब्लॉक नंबर 2, सरदार भवन, सचिवालय, गांधीनगर दिनांक 15.4.95 द्वारा अनुभाग अधिकारी के हस्ताक्षर से प्राप्त हो गयी है गृह विभाग (विशेष) सूरत रेलवे पुलिस स्टेशन में पीसी की धारा 307, 326, 324, 427, 120(बी) एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4, 5 के तहत पंजीकृत आई.ओ. रजि. सं. 70/93 में टाडा अधिनियम की धाराएं लागू करने हेतु।

स्वीकृति पत्र फैक्स संदेश मामले के कागजात के साथ संलग्न है जिसे कृपया नोट करें।

तारीखः 12.5.95 एसडी/ अपठित

प्रतिलिपि प्राप्त हुई (के. के. चौदसमा)

एसडी/- अपठित अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

कनिष्ठ लिपिक जी डिवीज़न, सूरत शहर"

15. उपरोक्त स्पष्ट के आलोक में यह है कि सी.आर.संख्या 32/1993 में टाडा के तहत अपराध के कारित करने के संबंध में जानकारी दर्ज करने की मंजूरी सीधे गुजरात सरकार के गृह विभाग से आई थी। सूरत रेलवे स्टेशन पर हुए दूसरे विस्फोट से संबंधित सी.आर. नंबर 70/1993 में, राज्य सरकार और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सूरत शहर ने टाडा के प्रावधानों के आवेदन को मंजूरी दे दी।

16. निर्धारण का विषय यह है कि क्या इन स्वीकृतियों को टाडा की धारा 20-ए के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन कहा जा सकता है, जो इस प्रकार है:-

"20-**ए. अपराध का संज्ञान** - (1) संहिता में किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराध के घटित होने के बारे में कोई भी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा दर्ज नहीं की जाएगी।

(2) कोई भी अदालत पुलिस महानिरीक्षक, या जैसा भी मामला हो, पुलिस आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।"

17. उपरोक्त को सावधानीपूर्वक पढ़ने से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि प्रावधान एक गैर-अप्रत्याशित खंड से शुरू होता है और नकारात्मक वाक्यांश विज्ञान में उलझा हुआ है। यह जिला पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बिना पुलिस द्वारा टाडा के तहत किए गए अपराध के बारे में जानकारी दर्ज करने से मना करता है। सवाल यह है कि क्या मौजूदा मामले में जिला पुलिस अधीक्षक में निहित अनुमोदन की शक्ति का प्रयोग सरकार या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, सूरत द्वारा किया जा सकता है। उस प्रश्न पर हमारा उत्तर नकारात्मक है। कारणों की तलाश बहुत दूर नहीं है। हम ऐसा सबसे पहले इसलिए कहते हैं क्योंकि क़ानून अनुदान अनुमोदन को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नामित प्राधिकारी में निहित करता है। ऐसा होने पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी के अलावा कोई भी उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। किसी भी अन्य प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग की अनुमति देना, चाहे वह क़ानून द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी से श्रेष्ठ या निम्न हो, प्रावधान को फिर से लिखने और उसी के पीछे विधायिका के उद्देश्य को विफल करने का प्रभाव होगा - एक ऐसा कोर्स जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। संयुक्त कार्रवाई में एयर लाइन पायलट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएलपीएआई) और अन्य की समिति बनाम नागरिक उड्डयन

महानिदेशक और अन्य (2011) 5 एससीसी 435, इस न्यायालय ने घोषणा की कि वरिष्ठ अधिकारी भी किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए क़ानून के तहत प्राधिकरण को कोई दिशानिर्देश या निर्देश नहीं दे सकते हैं।

18. दूसरा, क्योंकि धारा 20-ए(1) के तहत जिला पुलिस अधीक्षक में निहित शक्ति का प्रयोग में सम्बंधित अधिकारी द्वारा उसके सामने रखी गई सामग्री से सम्बंधित पर दिमाग का उपयोग शामिल होगा, जिसके आधार पर केवल यह निर्णय लिया जायेगा कि टाडा के तहत किसी अपराध के घटित होने को दर्ज करने के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए या नहीं। धारा 20-ए (1) के तहत अनुमोदन देने या अस्वीकार करने की शक्ति का प्रयोग अपने प्रकृति में संबंधित अधिकारी पर जानकारी का मूल्यांकन करने और सभी सम्बंधित परिस्तिथियों को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करने का कर्तव्य डालती है कि टाडा के प्रावधानों को लागू करने के लिए मामला बनाया गया है या नहीं। नामित प्राधिकारी के आलावा किसी अन्य द्वारा उस शक्ति का प्रयोग अर्थात पुलिस अधीक्षक, ऐसे अन्य प्राधिकारी के सामान होगा जो नामित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र पर कब्ज़ा कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी यह प्रयोग कर रहा है कि शक्ति निर्णय लेने के लिए कानून द्वारा अधिकृत अधिकारी से रैंक और स्तिथि में श्रेष्ठ है।

19. तीसरा, क्योंकि यदि क़ानून किसी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने का प्रावधान करता है, तो उसे उसी तरीके से ही किया जाना

चाहिए। उस कार्य को करने के अन्य सभी तरीके या विधियाँ प्रतिबंधित माने जायेंगे। कानून का यह प्रस्ताव सबसे पहले टेलर बनाम टेलर (1876) 1 सी.एच डी426 में कहा गया और बाद में न्यायिक समिति द्वारा नजीर अहमद बनाम राजा सम्राट ए. आई. आर. 1936 पी. सी. 253 में अपनाया गया और इस न्यायालय द्वारा एक श्रृंखला में राव शिव बहादुर सिंह और अन्य बनाम विंध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1954 एससी 322, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सिंघारा सिंह और अन्य, एआईआर 1964 एससी 358 चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद और अन्य 1999 (8) एससी 266, धनंजय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य 2001 (4) एससीसी 9 और गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड. बनाम एस्सार पावर लिमिटेड 2008 (4) एससीसी 755 सहित निर्णयों की श्रंखला में कहा गया है। उपरोक्त निर्णयों में बताया गया सिद्धांत मौजूदा मामलों पर लागू होता है, इसलिए नहीं कि मंजूरी देने के लिए क़ानून द्वारा निर्धारित कोई विशिष्ट प्रक्रिया है, बल्कि इसलिए कि अगर मंजूरी पुलिस पदानुक्रम में किसी के द्वारा दी जा सकती है, तो इसके लिए प्राधिकार को निर्दिष्ट करने वाला प्रावधान है। ऐसी मंजूरी देने का अधिनियम भी नहीं बनाया गया होगा।

20. अनिरुद्धसिंहजी और अन्य बनाम गुजरात राज्य (1995) 5 एससीसी 302 पर श्री सुशील कुमार ने भरोसा किया, जिसमे यह न्यायालय एक तथ्यात्मक स्थिति से निपट रहा था जहां शुरू में शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं

सूचना दर्ज करने की मंजूरी देने के बजाय अतिरिक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट देकर टाडा के तहत कार्यवाही की अनुमति मांगी थी। उप महानिदेशक और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने भी मुख्य सचिव को फैक्स संदेश भेजकर टाडा के तहत आगे बढ़ने की अनुमति देने का अनुरोध किया। इसी आधार पर अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग ने टाडा के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की मंजूरी/सहमति दी। इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रश्न यह था कि क्या धारा 20-ए(1) का उल्लंघन किया गया था और यदि हां, तो क्या उस मामले में अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा कानूनी रूप से वैध था। इस तर्क को खारिज करते हुए कि अनुमोदन वैध था, इस न्यायालय ने माना:

> "11. अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला मूल रूप से 19-3-1995 को शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। डीएसपी ने टाडा के तहत किसी अपराध के घटित होने के बारे में कोई भी जानकारी दर्ज करने के लिए अपनी ओर से कोई पूर्व मंजूरी नहीं दी। इसके विपरीत, उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को रिपोर्ट देकर टाडा के तहत कार्यवाही की अनुमति मांगी। क्यों? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह धारा 20-ए(1) के प्रावधान द्वारा उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में अनिच्छुक था? यह एक प्राधिकार को प्रदत्त शक्ति का वास्तव में दूसरे द्वारा प्रयोग किये जाने का मामला है। यदि किसी वैधानिक प्राधिकारी को अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है, तो उसे इसका

प्रयोग अपने विवेक के अनुसार करना होगा। यदि विवेक का प्रयोग किसी उच्च प्राधिकारी के निर्देश के तहत या उसके अनुपालन में किया जाता है, तो यह पूरी तरह से विवेक का प्रयोग करने में विफलता का मामला होगा। दूसरे शब्दों में, इस मामले में धारा 20-ए(1) द्वारा डीएसपी को प्रदत्त विवेक का प्रयोग डीएसपी द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया गया।"

21. इस न्यायालय ने पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भानजी एआईआर 1952 एससी 16 के निर्णय भरोसा किया, जहां पुलिस आयुक्त ने राज्य सरकार के आदेश पर ग्रेटर बॉम्बे में एक सिनेमा के निर्माण के लिए दी गई अनुमति रद्द कर दी थी। आयुक्त द्वारा पारित आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि संबंधित अधिकारियों ने रद्द करने की शक्ति केवल आयुक्त में निहित की थी, जो स्वयं इसका प्रयोग करने के लिए बाध्य था और किसी अन्य पक्ष के कहने पर कार्य करने के बजाए मामले पर अपना स्वतंत्र और निरंकुश निर्णय ले। इस न्यायालय ने उस दृष्टिकोण के लिए 'प्रशासनिक कानून', 7 वें संस्करण पृष्ठ संख्या 358-359 में 'आत्मसमर्पण त्याग, तानाशाही' शीर्षक और उप-शीर्षक 'गलत हाथों में शक्ति' के तहत वेड और फोर्सिथ के निम्नलिखित अंश से समर्थन लिया:

"प्रतिनिधिमंडल के समान, और कुछ मामलों में शायद ही इससे भिन्न हो, ऐसी कोई भी व्यवस्था है जिसके द्वारा एक प्राधिकारी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग दूसरे प्राधिकारी द्वारा किया

जाता है। उचित प्राधिकारी अपनी शक्ति को किसी और के साथ साझा कर सकता है, या किसी और को उनकी सहमति के बिना कार्य करने से इनकार करके या उनकी इच्छाओं या निर्देशों को प्रस्तुत करके उसे निर्देशित करने की अनुमति दे सकता है। इसका प्रभाव यह होता है कि संसद द्वारा प्रदत्त विवेक का प्रयोग, कम से कम आंशिक रूप से, गलत प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, और परिणामी निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर और शून्य होता है। इस सिद्धांत को लागू करने में न्यायालायें इतनी सख्त हैं कि वे कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं की निंदा करती हैं जो उन्हें बनाने वालों को बिल्कुल स्वाभाविक और उचित लगती होंगी...

मंत्री और उनके विभाग कई बार एक ही नियम का उल्लंघन कर चुके हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें भी आश्चर्य हुआ..."

22. अनिरुद्धसिंहजी (ऊपर) का अनुसरण मनोहर लाल (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम उग्रसेन (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि और अन्य (2010) 11 एससीसी 557 में किया गया था, जहाँ विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या राज्य सरकार, यू. पी. शहरी योजना और विकास अधिनियम, 1973 के तहत पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक निम्न वैधानिक प्राधिकरण का कार्य कर सकती है। अनिरुद्धसिंहजी मामले (ऊपर) में अपनाये गए दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए इस न्यायालय ने कहाः

"23. इसलिए, प्रश्न पर कानून को इस आशय से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि पदानुक्रम में कोई भी उच्च प्राधिकारी या अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी वैधानिक प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है और न ही श्रेष्ठ प्राधिकारी अपने ज्ञान को गिरवी रख सकता है और वैधानिक प्राधिकारी को कार्य करने का निर्देश दे सकता है। एक विशेष ढंग. यदि अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी वैधानिक प्राधिकारी का कार्य अपने ऊपर लेता है और एक आदेश पारित करता है, तो यह इस कारण से अप्रवर्तनीय रहता है कि इसे अधिनियम के तहत पारित आदेश नहीं कहा जा सकता है।"

23. यह कि धारा 20-ए(1) अनिवार्य है, अब रंगकु दत्ता @ रंजन कुमार दत्ता बनाम असम राज्य (2011) 6 एससीसी 358 मामले में इस न्यायालय द्वारा तय किए जाने के बाद अनिर्णीत विषय नहीं रह गई है। उस मामले में इस न्यायालय ने माना कि चूंकि प्रावधान नकारात्मक शर्तों में शामिल था, इसलिए यह अनिवार्य प्रकृति का है, भले ही क़ानून अवज्ञा के लिए कोई दंड प्रदान नहीं करता है। इस न्यायालय ने कहा:

"18. यह स्पष्ट है कि धारा 20-ए(1) कानून की अनिवार्य आवश्यकता है। सबसे पहले, यह एक अधिभावी उपवाक्य से शुरू होता है और उसके बाद, इसकी अनिवार्य प्रकृति पर जोर

देने के लिए, यह अधिभावी उपवाक्य के बाद "नहीं" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। जब भी किसी क़ानून का इरादा अनिवार्य होता है, तो उसे नकारात्मक आदेश का जामा पहना दिया जाता है। इस संबंध में जी.पी. सिंह की सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत, 12 वें संस्करण का संदर्भ लिया जा सकता है।"

24. अहमद उमर सईद शेख बनाम यूपी राज्य (1996) 11 एससीसी 61 पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने अशरफ खान उर्फ बाबू मुन्नेखान पठान और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 11 एससीसी 606 में न केवल यह माना कि मुख्य सचिव द्वारा मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार का (गृह विभाग) धारा 20-ए(1) का पर्याप्त अनुपालन नहीं कर रहा था, बल्कि इससे उत्पन्न होने वाली कठिनाई संहिता की धारा 465 के तहत इलाज योग्य नहीं थी। इस न्यायालय ने कहा:

"34... संहिता की धारा 465, जो अध्याय 35 में आती है, सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय मामलों को भी कवर करती है। इसलिए, अभियोजन पक्ष संहिता की धारा 465 का आश्रय ले सकता है। लेकिन संहिता की धारा 465 सभी त्रुटि, चूक या अनियमितता के लिए रामबाण नहीं होगी। पुलिस अधीक्षक द्वारा टाडा के तहत मामले के पंजीकरण के लिए पूर्व मंजूरी देने में चूक उस तरह की चूक नहीं है जो संहिता की धारा

465 के तहत आती है। यह एक ऐसा दोष है जो मामले की जड़ तक जाता है और यह इलाज योग्य दोषों में से एक नहीं है।"

25. इस न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 20-ए(2) के संदर्भ में मंजूरी देने से धारा 20-ए(1) के तहत मंजूरी में कमी अप्रासंगिक हो गई है। इस न्यायालय ने माना कि दोनों प्रावधान अलग-अलग और विशिष्ट चरणों में काम करते हैं और एक सफल अभियोजन के लिए दोनों आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में निम्नलिखित परिच्छेद उपयुक्त है:

"37. ... ... दोनों अलग-अलग और विशिष्ट चरणों में काम करते हैं और इसलिए, सफल अभियोजन के लिए दोनों आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। हमें ऐसा कोई सिद्धांत नहीं मिला है और न ही हम उस मामले में इसे निर्धारित करने के इच्छुक हैं जिसमें विभिन्न चरणों में अलग-अलग सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हों, अंतिम सुरक्षा उपायों का पालन ही प्रासंगिक होगा और अन्य सुरक्षा उपायों के उल्लंघन का मुकदमे पर कोई असर नहीं होगा। इसलिए, हम राज्य के इस तर्क को खारिज करते हैं कि आरोपी टाडा की धारा 20-ए(1) के तहत उपायुक्त द्वारा अनुमोदन की अनुपस्थिति के आधार पर अपनी सजा पर सवाल नहीं उठा

सकते, जबकि पुलिस आयुक्त ने टाडा की धारा 20-ए(2) के तहत मंजूरी दे दी थी।"

26. इस न्यायालय द्वारा मोहम्मद इकबाल एम.शेख और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1998) 4 एससीसी 494 और मंजीत सिंह उर्फ़ मांगे सीबीआई द्वारा एसपी (2011) 11 एससीसी 578 के मामले के माध्यम से दिए गए दो बाद के फैसलों में, थोड़ा उदार दृष्टिकोण सामने आया है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनिरुद्धसिंहजी के मामले (सुप्रा) का निर्णय इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था, हमें उस निर्णय के अनुपात से हटने का कोई बाध्यकारी कारण नहीं दिखता है, खासकर जब उस निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण आगे बढ़ता है ठोस और अच्छी तरह से स्थापित कानूनी सिद्धांत जिनके बारे में हमने इस फैसले के पहले भाग में संक्षेप में बताया है।

27. इसलिए, उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यह है कि एक अनिवार्य सांविधिक प्रावधान की आवश्यकता का उल्लंघन होने पर, टाडा के तहत अपराधों के लिए याचिकाकर्ताओं के विचारण और दोषसिद्धि को उस कारण से दूषित माना जाना चाहिए। यह तर्क कि दोनों घटनाओं के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट क़ानून की धारा 20-ए (1) की शुरूआत से पहले दर्ज की गई थी, जिससे सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी अनावश्यक हो गई है, ने हमें प्रभावित नहीं किया है। यह सच है कि धारा 20-ए (1) के कानून की किताब में आने से पहले दोनों घटनाएं हुई थीं और टाडा के तहत उनके

संबंध में मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन तथ्य यह है कि समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार टाडा के प्रावधानों को रिपोर्ट से हटा दिया गया था। जब तक नए साक्ष्य सामने आए, तब तक अधिनियम के प्रावधानों को फिर से लागू करने के लिए टाडा के तहत अपराधों के कारित करने के संबंध में जानकारी दर्ज करने की मंजूरी आवश्यक हो गई थी। तथ्य यह है कि इस तरह की मंजूरी को जांच एजेंसी द्वारा भी आवश्यक माना गया था और इसके लिए प्रार्थना की गई थी, केवल यह दर्शाता है कि अधिकारियों को कानून की आवश्यकता के बारे में पता था और उन्होंने जानबूझकर उक्त आवश्यकता का पालन करने का प्रयास किया था, भले ही उन्होंने किसी प्राधिकारी को जो अनुमति देने में सक्षम नहीं है, ऐसी मंजूरी के लिए आवेदन किया हो।

28. श्री यशांक अध्यारू ने आगे तर्क दिया कि भले ही अपीलकर्ताओं के खिलाफ टाडा के प्रावधान उपलब्ध नहीं थे, फिर भी अभियोजन आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखने में सफल हो सकता है। यह वास्तव में ऐसा ही होगा, बशर्ते उस कार्रवाई का समर्थन करने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य हों। जब ऐसे साक्ष्य दिखाने के लिए कहा गया जो टाडा के प्रावधानों से स्वतंत्र अपीलकर्ताओं को दोषी ठहरा सकते हैं और कथित प्रावधानों के तहत कथित तौर पर दर्ज किए गए आरोपियों के स्वीकारोक्ति बयान, श्री यशांक अध्यारू ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हालांकि इनमें से कुछ

की वसूली के संबंध में सबूत हो सकते हैं। अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए हथियार अपने आप में पर्याप्त नहीं होंगे। अन्यथा भी हथियारों की बरामदगी भी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्यों से संतोषजनक साबित नहीं होती है। ऐसी स्थिति होने पर, हमारे पास कोई संदेह नहीं रह गया है कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

29. हम तदनुसार आपराधिक अपील संख्या 92/2009, 110/2009 और 658-659/2009 को स्वीकार करते हैं और अपीलकर्ताओं के खिलाफ पारित दोषसिद्धि के आदेश को अपास्त करते हैं, जिन्हें अभिरक्षा से तुरंत रिहा किया जाएगा जब तक कि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो। हालाँकि, गुजरात राज्य द्वारा दायर आपराधिक अपील संख्या 303-304/2009, 305/2009 और 432-433/2009 खारिज की जाती हैं।

निधि जैन

अपीलों का निस्तारण किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****